प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

भारत भूषण बनाम रचना देवी

....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.22	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः उभयपक्ष /अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.09.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजीयात ग्राम बासकृपालनगर स्थित आराजी ख0नं0 217/1231 रकबा 0.57हे0 सालिम, 218 रकबा 0.56हे0 सालिम, 217/1229 रकबा 0.63हे0 सालिम, 217/1230 रकबा 0.57हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.3300हे0 यानि 9 बीघा 4 बिस्वा दर्ज जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के अनुसार ग्राम तरवाला में स्थित ख0नं0 416/766 रकबा 1.5200हे0 में से 36/456 हिस्सा, 417 रकबा 1.3400हे0 सालिम, 419 रकबा 0. 1800हे0 सालिम किता 3 रकबा 1.6400हे0 अर्थात् रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा दर्ज जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के अनुसार तहसील किशनगढबास जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 20.09.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर)	
20-9-22	वकील पक्षकारान उप० वास्ते जवाब अप्रार्थी से । लग्ना० 1 व इन्तजार तामील रिपोर्ट 2-11-22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (अलवर)	
2-11-22	....पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे है। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक......15-11-22 को पेश हो। रीडर	

14.11.2022 वकील पक्षकारान उप० अप्रार्थी सं. 4, 5, 6 व 8 की ओर से जबाब प्रा. पत्र पेश हुआ। शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते जवाब शेष अप्रार्थी एवं तलबी शेष अप्रार्थीगण दि. 16.11.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

16.11.2022 उभय पक्ष के अभिभावक उप०। अप्रार्थी सं. 1 ल. 3 की ओर से जवाब प्रा. पत्र पेश हुआ। शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते जवाब शेष अप्रार्थी एवं तलबी शेष अप्रार्थीगण दि. 23/11/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

23-11-22 उभयपक्ष के अभि० उप०। प्रतिवादी सं० 4,5,6,8 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रतिवादी सं० 7, 9 की ओर से जवाब पेश करने को मौका चाहा जिसकी 19-12-22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

भरत भूषण
[illegible]

16-12-22 आज पत्रावली वकील वादी। वादी के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। दावा वादी जरिये नामा राजीनामा विड्रा करना चाहता है। वादी स्वयं उपस्थित इसकी पहचान वकील वादी ने की। वादी वकील को सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी जरिये राजीनामा विड्रा किया जाता है। पत्रावली फैसले शुमार होकर दाखिल रेकार्ड मब्जार हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)